

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/1017

दिनांक - 03/05/19

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 किशनाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी लेगों की ढाणी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।	1 प्रहलादराम पुत्र मोतीराम पुत्र डूंगराराम 4 बगताराम पुत्र उगराराम 5 चुनाराम 6 थानाराम पिसरान चेजाराम 7 अचलाराम पुत्र ईशराराम 8 मगाराम पुत्र ईशराराम जाति जाट निवासी लेगों की ढाणी कगाऊ 9 जुन्जाराम 10 विरधाराम पिसरान भंवराराम जाति नाई निवासी लेगों की ढाणी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।	2 पांचाराम पुत्र दलाराम 3 मुलाराम 4 बगताराम पुत्र उगराराम 5 चुनाराम 6 थानाराम 7 अचलाराम पुत्र ईशराराम 8 मगाराम पुत्र ईशराराम जाति जाट निवासी लेगों की ढाणी कगाऊ 9 जुन्जाराम 10 विरधाराम पिसरान भंवराराम जाति नाई निवासी लेगों की ढाणी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 17/2019

दिनांक- 03.05.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लेगों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 529/422 रकबा 22.00, खसरा संख्या 536/440 रकबा 39.01 बीघा कुल रकबा 61.01 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2019/1018-21

दिनांक- 03/05/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. किशनाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी लेगों की ढाणी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी प्रहलादराम पुत्र मोतीराम वगैराह जाति जाट निवासी लेगों की ढाणी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर